# कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
# सतपुड़ा भवन, पॉचवी मंजिल, भोपाल

क्रमांक 255/225/आउशि/अनु.ब./20 भोपाल दिनांक 17 /02/2021

प्रति,

1 प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय
म.प्र. (कॉलम 04 के अनुसार)

2 प्राचार्य,
अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय
म.प्र. (कॉलम 02 के अनुसार)

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में पॉचवे वेतनमान के वेतन-भत्तों के दिनांक 01.04.2000 से 1.03.2002 तक 20% एवं दिनांक 01.04.2002 से 31.12.2005 तक 50% एरियर्स के लिए राशि आवंटन की स्वीकृति।

संदभ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2014/325/अनु.ब./19 दिनांक 5.12.2019

---000000---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुपालन में निम्नलिखित महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में पॉचवे वेतनमान के वेतन-भत्तों हेतु दिनांक 01.04.2000 से 31.03.2002 तक 20% एवं दिनांक 01.04.2002 से 31.12.2005 तक 50% एरियर्स के आवंटन की शेष राशि सेगमेंट कोड अनुसार स्वीकृत की जाती है।

| क्र. | महाविद्यालय का नाम | सत्र 2020-21 हेतु आवंटित शुद्ध देय राशि | शास.अग्रणी महावि. का नाम एवं कोड |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | पी.एम.बी. गुजराती साइंस कॉलेज इंदौर | 13,64,789 | माता जीजाबाई शास. कन्या स्नातको0 महावि. मोती तबेला इंदौर 1713802004 |
| 2- | सेंट एलायसिस महाविद्यालय जबलपुर | 21,06,856 | शासकीय महाकौशल वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर 1803802002 |
| 3- | एल.बी.एस. महाविद्यालय गंजबासौदा | 31,53,705 | शासकीय कन्या महाविद्यालय विदिशा 4503802001 |
| | योग | 66,25,350 | |

(छियासठ लाख पच्चीस हजार तीन सौ पचास )

उपरोक्त आवंटित राशि का आहरण अग्रणी महाविद्यालय के समक्ष अंकित सेगमेंट कोड अंतर्गत निम्नलिखित बजट शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट से विकलनीय होगा:-

| सेगमेंट कोड | बजट शीर्ष |
|---|---|
| 0103- उच्च शिक्षा (सामान्य) | 44-2202-03-104-0103-3444-42-002 |

1 शैक्षणिक अधिकारियों को शत-प्रतिशत अनुदान भुगतान एवं महाविद्यालय के संपूर्ण स्टाफ के वेतन निर्धारण, सेवा-पुस्तिका में वेतन नियमन की प्रविष्टयों के संबंध में शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि आहरण करने वाली राशि से संबंधित वेतनमान संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर के अधीनस्थ, संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक/ सहायक संचालक म.प्र. द्वारा अनुमोदित हो।

2 आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों /कर्मचारियों को वेतन-भत्तों के एरियर्स के लिए देय राशि का ही आहरण किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत किया जा रहा है। समय-समय पर शासन द्वारा अनुदान राशि के संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3 स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक का आडिट होना सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। पूर्व वर्षों मे आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण होना सुनिश्चित करावें।

Scanned with CamScanner

4 अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से वसूल की जा रही शत-प्रतिशत शिक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार संस्थागत निधि में जमा करायी जानी होगी।

5 उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग /स्थानीय निधि संपरीक्षा/ उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये इनके विवेकानुसार जॉच हेतु खुले रहेंगे।

6 किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान/ व्यय की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य/संस्था की होगी।

7 गत वर्ष 2019-20 में जारी की गई आवंटन राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शिक्षा अधिकारी संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान / अग्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

8 जिन महाविद्यालयों को संस्था द्वारा उक्त एरियर्स का भुगतान अपने फण्ड से किया गया है। उस संस्था के लिखित प्रमाण पत्र पर प्रतिपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक /325/आउशि/अनु.ब./20 भोपाल दिनांक /10/2020

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी/ राज्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग , मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
6. संबंधित कोषालय / उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. वि.क.अ. (आई टी सेल) उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner